30.01.2026

अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दिनांक 29.09.2025 को प्रार्थी मितेश जिंदल, सीमा जिंदल, रेखा जिंदल, पंकज कुमार व सत्यप्रकाश सैन द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था कि प्रतिवादी संख्या 09 राजेंद्र ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.11.2016 की भूखण्ड संख्या 14 मितेश को, प्रतिवादी संख्या 18 धर्मेन्द्र ने भूखण्ड संख्या 15 सीमा को, प्रतिवादी संख्या 14 संदीप बिडला ने भूखण्ड संख्या 13 रेखा जिंदल को, प्रतिवादी संख्या 12 अक्षय महाजन ने भूखण्ड संख्या 6 पंकज कुमार जैन को, प्रतिवादी संख्या 13 प्रदीप कुमार ने भूखण्ड संख्या 5 पंकज कुमार जैन को, प्रतिवादी संख्या 3 मोहन सिंह ने भूखण्ड संख्या 12 प्रवीण कुमार जैन को तथा आगामी स्तर पर प्रवीण कुमार ने इसी प्लॉट को नवीन कुमार जैन को जो कि सत्यप्रकाश के मुख्तार थे को बेचान कर दिया। इन प्लाटों पर इनके केतागण ही काबिज चले आ रहे है। अतः प्रार्थीगण को बतौर प्रतिवादीगण संख्या 20 लगायत 24 जोडे जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश नहीं किया तथा आज प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में भी कोई आपत्ति नहीं की। इसी प्रकार प्रतिवादीपक्ष ने भी प्रार्थीगण को बतौर प्रतिवादी जोडे जाने में कोई आपत्ति नहीं की। अतः प्रार्थना पत्र की प्रकृति को देखते हुए प्रार्थीगण के उचित पक्षकार होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा इस प्रार्थना पत्र में अंकित प्रार्थीगण को बतौर प्रतिवादीगण संख्या 20 लगायत 24 के रूप में जोडे जाने की अनुमति दी जाती है। नियमानुसार वादी संशोशित शीर्षक पेश करें।

थाना कोतवाली रो एफएसएल रिपोर्ट के संबंध में इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि वादी जगदीश के बचत खाते रो संबंधित मूल दस्तावेज प्राप्त नहीं होने के कारण प्रकरण में अभी संबंधित दस्तावेज को विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा

जा सका है तथा मूल दस्तावेजात को प्राप्त करने के प्रयास जारी होना बताया है। इस रिपोर्ट के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि थानाधिकारी कोतवाली द्वारा प्रस्तुत मामले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला से असल सहमति पत्र की जांच करवाकर रिपोर्ट पेश करने के तथ्य को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है एवं केवल मात्र औपचारिकता पूर्ण की जा रही है। जबकि वादी जगदीश के बचत खाते के अतिरिक्त उसके पेंशन खाते से भी मूल दस्तावेज जिन पर जगदीश के हस्ताक्षर मौजूद हो, प्राप्त करने के प्रयास किये जा सकते थे जो कि प्रस्तुत मामले में प्राप्त करना दर्शित नहीं हो रहा है ना ही बैंक के पास असल हस्ताक्षरित दस्तावेज मौजूद नहीं के संबंध में कोई पत्र प्राप्त कर न्यायालय में पेश किया गया। अतः न्यायालय थानाधिकारी, कोतवाली को अलग से इस संबंध में पत्र जारी करना उचित पाता है। पत्रावली वास्ते संशोधित शीर्षक एवं जारी करने पत्र दिनांक 31.01.2026 को पेश हो।

30.1.26

अपर जिला न्यायाधीश